

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड

स्वरोजगारपरक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की बैठक
दिनांक 04.01.2022

कार्य सूची (एजेण्डा)

1. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना :

योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा दर्ज प्रगति निम्नवत है :

(रु. करोड़ में)

प्रगति	श्रेणी	विवरण	लक्ष्य (खाता संख्या)	खातों की संख्या	स्वीकृत ऋण राशि
30-09-2021	षिषु	रु. 50000 तक के ऋण	120542	33743	98.95
	किषोर	रु. 50000 से रु. 5.00 लाख	56962	16565	319.00
	तरुण	रु. 5.00 लाख से रु. 10.00 लाख	12496	3365	282.08
		योग	190000	53673	700.06
31-12-2021	षिषु	रु. 50000 तक के ऋण	120542	67092	196.47
	किषोर	रु. 50000 से रु. 5.00 लाख	56962	31727	624.37
	तरुण	रु. 5.00 लाख से रु. 10.00 लाख	12496	6533	545.01
		योग	190000	105352	1365.86

जिलेवार प्रगति –

(As on 31.12.2021)

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	जिला	कुल लक्ष्य (खाता संख्या)	षिषु		किशोर		तरुण		योग	
			खाता संख्या	स्वीकृत ऋण राशि	खाता संख्या	स्वीकृत ऋण राशि	खाता संख्या	स्वीकृत ऋण राशि	खाता संख्या	स्वीकृत ऋण राशि
1	अल्मोड़ा	4401	1547	4.21	1729	41.87	357	29.35	3633	75.43
2	बागेश्वर	1769	384	0.72	799	16.25	107	8.60	1290	25.58
3	चमोली	3647	339	0.79	1382	33.03	247	19.95	1968	53.78
4	चम्पावत	3926	2158	4.64	1066	22.07	148	32.22	3372	38.93
5	देहरादून	40218	12255	3921	6211	135.16	1940	160.83	20406	335.18
6	पौड़ी	8103	3096	6.46	1766	38.85	393	31.93	5255	77.24
7	हरिद्वार	53022	22007	70.90	5649	75.25	794	68.04	28450	214.20
8	नैनीताल	20662	9034	23.08	3310	62.66	676	57.07	13220	143.48
9	पिथौरागढ़	3660	506	0.97	1461	37.12	295	24.34	2262	62.43
10	रुद्रप्रयाग	2024	210	0.40	699	16.40	108	8.79	1017	25.58
11	टिहरी	4427	782	2.03	1399	32.04	259	20.97	2440	55.41
12	यू.एस. नगर	41406	14519	42.68	5278	93.82	1065	90.23	20862	226.69
13	उत्तरकाशी	2735	239	0.74	795	19.60	143	11.60	1177	31.93
	योग	190000	67076	196.83	31744	624.48	6532	544.55	105352	1365.86

(Source : MUDRA Portal)

- योजना अंतर्गत दिनांक 31.12.2021 तक बैंकों द्वारा निर्धारित लक्ष्य 190000 के सापेक्ष 105352 इकाईयों को रु. 1365.86 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 55 प्रतिशत है तथा योजनान्तर्गत लगभग 150145 नागरिकों को रोजगार प्राप्त हुआ है।
- एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा समस्त बैंकों को दिनांक 24.12.2021 एवं 27.12.2021 को ई-मेल के माध्यम से अवगत कराया गया था कि वे मुद्रा (षिषु) योजना अंतर्गत प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम योजनान्तर्गत स्वीकृत करें, इससे लाभार्थी को रु. 15000/- से रु. 20000/- तक का अनुदान का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

2. एन.आर.एल.एम. :

(रु. करोड़ में)

प्रगति	वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	ऋण राशि	निरस्त आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र	
						< 1 M	>1 M
As on 30.09.2021	10000	12818	5748	99.71	3184	1447	2439
As on 31.12.2021	10000	15618	9427	156.20	4740	718	733

जिलेवार प्रगति –

(रु. करोड़ में)

(As on 31.12.2021)–

जिला	वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	ऋण राशि	निरस्त आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र	
						< 1 M	>1 M
अल्मोड़ा	579	862	485	5.14	326	30	21
बागेश्वर	147	240	154	2.07	80	0	6
चमोली	924	1340	890	11.15	368	40	42
चम्पावत	242	319	233	3.26	44	9	33
देहरादून	600	826	611	10.21	161	18	36
पौड़ी	1148	1867	1139	16.12	410	206	112
हरिद्वार	1583	2581	1468	19.58	972	43	98
नैनीताल	1131	1754	1060	15.99	529	90	75
पिथौरागढ़	509	732	413	6.43	142	80	97
रुद्रप्रयाग	298	469	302	3.84	148	1	18
टिहरी	745	1189	772	35.15	312	34	71
यू.एस. नगर	1561	2654	1365	16.11	1014	157	118
उत्तरकाशी	533	7856	535	11.14	234	10	6
योग	10000	15618	9427	156.20	4740	718	733

(Source : NRLM Portal)

- एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 09.12.2021, 18.12.2021 एवं 24.12.2021 को योजनान्तर्गत लम्बित ऋण आवेदन पत्रों की सूची समस्त बैंकों को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की गयी थी तथा आग्रह किया गया था कि वे लम्बित ऋण आवेदन पत्रों में से योग्य एवं पात्र आवेदकों को स्वीकृति प्रदान करें ताकि समय से लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो सके।
- बैंक, ऋण आवेदन पत्रों के निरस्तीकरण का स्पष्ट कारण अंकित करें तथा कारणों को पोर्टल में भी अंकित करें। साथ ही ऋण आवेदन पत्रों के निरस्तीकरण के कारणों से समूह को भी अवगत करायें।

3. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम :

प्रगति	वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	निरस्त आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र	
					< 1 M	>1 M
As on 30.09.2021	1714	2292	630	863	482	317
As on 31.12.2021	1714	3817	1335	1700	485	297
Margin Money Target : Rs. 51.71 Cr.			Achievement : Rs. 20.58 Cr. (40%)			

जिलेवार प्रगति

(As on 31.12.2021)

क्र. सं.	जिला	लक्ष्य	लक्ष्य मार्जिन मनी (लाख में)	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	निरस्त आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
1	अल्मोड़ा	131	395	240	91	117	32
2	बागेश्वर	131	395	353	162	162	29
3	चमोली	131	395	329	114	128	87
4	चम्पावत	131	395	260	97	109	54
5	देहरादून	139	419	326	129	132	65
6	पौड़ी	131	395	224	76	90	58
7	हरिद्वार	137	413	341	64	169	108
8	नैनीताल	137	413	430	123	187	120
9	पिथौरागढ़	129	389	296	81	146	69
10	रुद्रप्रयाग	129	389	210	108	86	16
11	टिहरी	127	383	303	127	132	44
12	यू.एस. नगर	139	419	354	111	167	76
13	उत्तरकाशी	122	368	151	52	75	24
	योग	1714	5171	3817	1335	1700	782

(Source of Data – PMEGP Portal)

- योजना अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य 1714 ऋण आवेदन पत्रों के सापेक्ष बैंकों द्वारा 1335 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये हैं, जो कि लक्ष्य का 78 प्रतिशत है।
- उक्त योजना अंतर्गत इण्डियन बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक एवं यूको बैंक, की प्रगति निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष कम है।
- के.वी.आई.सी. एवं डी.आई.सी. विभाग से आग्रह है कि वे लाभार्थियों को त्वरित EDP प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करें। EDP प्रशिक्षण प्राप्त न होने की स्थिति में बैंकों द्वारा ऋण वितरित नहीं किया जा सकेगा।
- बैंक शाखायें निरस्त किये गये ऋण आवेदन पत्रों में निरस्तीकरण का स्पष्ट कारण पोर्टल में अंकित करें।
- ऋणी द्वारा ई.डी.पी. प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत बैंक मार्जिन क्लेम राशि पोर्टल में दर्ज करें।
- पीएमईजीपी योजना अंतर्गत वर्ष 2017–18 से 2019–20 में वित्तपोषित इकाईयों का वाहय अभिकरण M/s Genesys International Corporation Ltd., Mumbai द्वारा भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। अतः बैंकों से आग्रह है कि वे वित्तपोषित इकाईयों के भौतिक सत्यापन में सहयोग प्रदान करें।

4. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY):

योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा दर्ज प्रगति निम्नवत है :

Progress	Target	Pending Applications F.Y. 2020-21	Applications Sent to Banks	Reverted by Bank	Rejected by Bank	Loan Sanctioned by Bank	Loan Disbursed by Bank	Pending	
								< 1 M	>1 M
As on 30/09/21	5100	---	4431	272	775	1594	746	1565	225
As on 31/12/21	10200	1027	10980	1228	3058	4102	2494	3421	198

जिलेवार प्रगति –

(As on 31.12.2021)–

District	Target	Pending Applications F.Y. 2020-21	Applications Sent to Banks	Reverted by Bank	Rejected by Bank	Loan Sanctioned by Bank	Loan Disbursed by Bank	Pending
	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.
अल्मोड़ा	850	73	545	72	129	196	124	221
बागेश्वर	680	92	479	24	91	363	245	93
चमोली	850	34	1038	125	198	365	355	384
चम्पावत	850	72	738	53	259	365	279	133
देहरादून	680	27	860	47	286	297	176	257
पौड़ी	850	99	1048	106	396	386	270	259
हरिद्वार	680	51	927	38	315	289	68	336
नैनीताल	850	53	1101	200	373	306	225	275
पिथौरागढ़	850	57	1119	132	259	290	208	495
रुद्रप्रयाग	680	36	475	60	58	193	117	200
टिहरी	850	134	1026	125	158	278	111	600
यू.एस. नगर	680	62	853	86	306	338	135	184
उत्तरकाशी	850	237	771	160	230	436	181	182
योग	10200	1027	10980	1228	3058	4102	2494	3619

(Source of Data – MSY Portal)

- योजना अंतर्गत दिनांक 28.12.2021 तक निर्धारित लक्ष्य **10200** के सापेक्ष बैंकों द्वारा **4102** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत एवं **2494** ऋण आवेदन पत्रों में ऋण वितरित किया गया है।
- वार्षिक लक्ष्य **10200** के सापेक्ष विभाग द्वारा **10980** ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित किये गये हैं। अतः विभाग से आग्रह है कि वे निर्धारित लक्ष्य के डेढ़ गुना ऋण आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित करें।
- उद्योग विभाग से आग्रह है कि वे लाभार्थियों को त्वरित EDP प्रशिक्षण प्रदान करें। EDP प्रशिक्षण प्राप्त न होने की स्थिति में बैंकों द्वारा ऋण वितरित नहीं किया जा सकेगा।
- उक्त योजना अंतर्गत **पंजाब एण्ड सिंध बैंक, इण्डियन बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक** की प्रगति निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष कम है।

5. PM SVANidhi Scheme :

योजनांतर्गत बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत है :

Progress	Target	No. of Applications uploaded in portal	No. of Applications Picked by Banks	No. of Applications Sanctioned	No. of Applications Disbursed	Applications Returned / Closed	% Achievement Disbursed VS Total Application
As on 30.09.2021	25000	17202	544	10717	9866	5941	57%
As on 31.12.2021	25000	Eligible 16572	164	11082	10322	4194	62%

(Source of data – PM SVANidhi Portal)

- यू.एल.बी. द्वारा पी.एम. स्वनिधि योजनान्तर्गत **20393** वैन्डर्स चयनित किये गये है, इसके अतिरिक्त **11896** वैन्डर्स को LOR जारी किया गया है।
- दिनांक 27.12.2021 को सचिव, षहरी विकास द्वारा यू.एल.बी. को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए समूचित संख्या में ऋण आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित करें तथा निर्देशित किया गया कि जिन स्वीकृत ऋण आवेदकों को ऋण वितरण नहीं हुआ है, ULB उन आवेदकों को षाखा में पहुंचायें। ऋण वितरण में यू.एल.बी. में City Mission Manager को योजना का नोडल अधिकारी बनाने पर चच्च की गयी।
- पी.एम. स्वनिधि में जिन खाताधारकों द्वारा नियमित रूप से ऋण का पुर्नभुगतान करके ऋण खाता बन्द कर दिया है, उनको पुनः रु. 20,000/- (2nd Tranche) तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है।
- ऐसे ऋण आवेदन पत्र, जो कि पोर्टल में स्वीकृत दिखाये गये हैं परन्तु तकनीकी कारणों से वितरित नहीं हुये हैं, की सूची बैंक ULB को प्रेषित करें।
- पी.एम.स्वनिधि योजनान्तर्गत तीन नगर निकाय (देहरादून, हरिद्वार एवं रुड़की) में पी.एम.स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें पी.एम.स्वनिधि के वैन्डर्स का Socio Economic Survey किया गया है एवं उन्हे पी.एम.जे.डी.वाई, पी.एम.एस.बी.वाई एवं पी.एम.जे.जे.बी.वाई से आच्छादित करना है।

6. एन.यू.एल.एम. :

(रु. करोड़ में)

प्रगति	वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	निरस्त आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
As on 30.09.2021	2330	1084	133	132	75	876
As on 31.12.2021	2330	2681	678	651	258	1745

(Source : NULM Portal)

- योजना अंतर्गत बैंकों द्वारा दिनांक 31.12.2021 तक निर्धारित वार्षिक लक्ष्य **2330** के सापेक्ष **678** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये हैं, जो कि लक्ष्य का **29 प्रतिषत** है।

- एन.यू.एल.एम. पोर्टल में बैंक ऋण स्वीकृति/अस्वीकृति अपलोड नहीं कर सकते हैं।
- उक्त योजना अंतर्गत पंजाब एण्ड सिंध बैंक, इण्डियन बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एच.डी.एफ.सी., एक्सिस बैंक, आई.डी.बी.आई. बैंक एवं नैनीताल बैंक, की प्रगति निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
- बैंक षाखायें निरस्त किये गये ऋण आवेदन पत्रों में निरस्तीकरण का स्पष्ट कारण पोर्टल में अंकित करें।

7. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम (MSY):

योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा दर्ज प्रगति निम्नवत है :

प्रगति	वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित ऋण आवेदन पत्र	स्वीकृत	वितरित	अस्वीकृत / वापिस	लम्बित < 1 M
As on 31.12.21	14000	2504	392	102	278	1834

जिलेवार प्रगति –

(As on 31.12.2021)–

जिला	वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित ऋण आवेदन पत्र	स्वीकृत	वितरित	अस्वीकृत / वापिस	लम्बित
अल्मोड़ा	1000	68	02	01	02	64
बागेश्वर	800	145	36	14	09	100
चमोली	1000	90	19	07	04	67
चम्पावत	800	23	0	0	0	23
देहरादून	1400	33	11	9	01	21
पौड़ी	1200	86	05	01	06	75
हरिद्वार	1400	329	69	09	10	250
नैनीताल	1200	678	84	45	62	532
पिथौरागढ़	1000	13	02	00	00	11
रुद्रप्रयाग	800	18	00	00	02	16
टिहरी	1000	07	00	00	00	07
यू.एस. नगर	1400	505	95	00	85	325
उत्तरकाशी	1000	509	69	16	97	343
योग	14000	2504	392	102	278	1834

(Source of Data – MSY Portal)

- एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा समस्त बैंकों को अवगत कराया गया है कि वे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम को मुद्रा ऋण योजना (षिषु) से सम्बद्ध करते हुए आच्छादित करने हेतु कार्य करें, जिससे कि समस्त बैंक षाखायें उक्त योजना का लाभ मुद्रा ऋण योजना (षिषु) के अंतर्गत आवेदकों को प्रदान कर सकें।

- उक्त योजना अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, इण्डियन बैंक, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, यूको बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया एवं उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, की प्रगति निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कम है।

8. मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना (MSSY):

प्रगति	प्रेषित ऋण आवेदन पत्र	स्वीकृत	वितरित	अस्वीकृत / वापिस	लम्बित
As on 28/12/21	475	47	28	198	230

जिलेवार प्रगति –

(As on 31.12.2021)

जिला	लक्ष्य	प्रेषित ऋण आवेदन पत्र	स्वीकृत	वितरित	अस्वीकृत / वापिस	लम्बित
अल्मोड़ा	20	40	9	5	15	16
बागेश्वर	10	23	2	0	11	10
चमोली	20	49	3	3	21	25
चम्पावत	10	14	1	1	03	11
देहरादून	25	17	1	0	09	07
पौड़ी	30	63	3	1	23	37
हरिद्वार	30	44	4	2	24	16
नैनीताल	30	18	4	2	02	12
पिथौरागढ़	15	19	0	0	11	08
रुद्रप्रयाग	10	16	0	0	03	13
टिहरी	40	76	9	9	31	36
यू.एस. नगर	30	21	6	1	05	10
उत्तरकाशी	30	75	6	4	40	29
योग	300	475	47	28	198	230

(Source of Data – MSY Portal)

एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा समस्त बैंकों को निम्नवत अवगत कराया गया है :

- रु. 10.00 लाख एवं उससे कम धनराशी वाली इकाईयों को एम.एस.एम.ई. श्रेणी अंतर्गत वित्तपोषित किया जायेगा, अतः भारतीय रिजर्व बैंक के दिषानिर्देशानुसार सम्पाधिक प्रतिभूति (Collateral Security) की आवश्यकता नहीं होगी।
- ऋण राशि का CGTMSE से कवर लेना होगा।
- बैंकों को निर्देशित किया गया है कि योजना अंतर्गत ऋण खाता Special dispensation Scheme के तहत CBS में खोला जाय तथा ऋण पुर्नभुगतान की अवधि योजना अनुसार 15 वर्ष होगी।

9. स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान :

योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा दर्ज प्रगति निम्नवत है :

(रु. करोड़ में)

प्रगति	मद - लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	ऋण राशि	निरस्त आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
As on 30.09.2021	SC 805	876	331	2.54	56	489
	ST 100	45	11	0.04	02	32
	Minority 150	0	0	0	0	0
As on 31.12.2021	SC 805	1282	561	4.07	195	526
	ST 100	103	63	0.24	04	36
	Minority 150	173	33	0.93	25	115

(Source of Data – Department)

जिलेवार प्रगति – SCP – SC :

(रु. करोड़ में)

(Progress as on 31.12.21)

जिला	लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	ऋण राशि	निरस्त आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
अल्मोड़ा	71	75	65	0.31	02	08
बागेश्वर	41	62	39	0.19	04	19
चमोली	42	60	33	0.33	02	25
चम्पावत	39	57	36	0.19	03	18
देहरादून	97	272	61	0.38	45	166
पौड़ी	57	89	44	0.27	07	38
हरिद्वार	111	164	21	0.24	44	99
नैनीताल	75	157	51	0.32	42	64
पिथौरागढ़	47	73	40	0.17	07	26
रुद्रप्रयाग	50	71	46	0.52	05	20
टिहरी	58	68	61	0.59	07	00
यू.एस. नगर	73	82	20	0.26	21	41
उत्तरकाशी	44	52	44	0.30	06	02
योग	805	1282	561	4.07	195	526

जिलेवार प्रगति – SCP – ST :

(रु. करोड़ में)

(Progress as on 30.11.21, F.Y. 2021-22)

जिला	लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	ऋण राशि	निरस्त आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
अल्मोड़ा	0	00	0	0	0	0
बागेश्वर	01	01	01	0.01	0	0
चमोली	04	06	06	0.02	0	0
चम्पावत	0	0	0	0	0	0
देहरादून	38	50	32	0.10	4	14
पौड़ी	01	03	03	0.01	0	0
हरिद्वार	01	02	01	0.01	0	01
नैनीताल	03	07	03	0.02	0	04
पिथौरागढ़	08	06	06	0.01	0	0
रुद्रप्रयाग	0	0	0	0	0	0
टिहरी	0	0	0	0	0	0
यू.एस. नगर	42	27	10	0.05	0	17
उत्तरकाशी	01	01	01	0.01	0	0
योग	100	103	63	0.24	4	36

जिलेवार प्रगति – SCP – Minority :

(रु. करोड़ में)

(Progress as on 30.11.21, F.Y. 2021-22)

जिला	लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	ऋण राशि	निरस्त आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
अल्मोड़ा	6	8	0	0	0	8
बागेश्वर	5	0	0	0	0	0
चमोली	5	0	0	0	0	0
चम्पावत	70	0	0	0	0	0
देहरादून	25	24	8	0.27	5	11
पौड़ी	7	3	2	0.08	1	0
हरिद्वार	25	43	3	0.03	4	36
नैनीताल	25	36	0	0	0	36
पिथौरागढ़	5	0	0	0	0	0
रुद्रप्रयाग	5	0	0	0	0	0
टिहरी	5	0	0	0	0	0
यू.एस. नगर	25	57	18	0.51	15	24
उत्तरकाशी	5	2	2	0.04	0	0
योग	150	173	33	0.93	25	115

(Source : UBVVN Deptt.)

- योजना अंतर्गत बैंकों द्वारा दिनांक 30.11.2021 तक निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है :
 - अनुसूचित जाति मद में निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 805 के सापेक्ष 561 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये हैं, जो कि लक्ष्य का 70 प्रतिशत है।
 - अनुसूचित जनजाति मद में विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 100 के सापेक्ष 103 ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित किये हैं, जिसमें से बैंकों द्वारा 63 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये हैं, जो कि लक्ष्य का 63 प्रतिशत है।
- योजना अंतर्गत बैंकों द्वारा दिनांक 28.12.2021 तक निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है :
 - अल्पसंख्यक मद में संबन्धित विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 150 के सापेक्ष तृतीय त्रैमास माह में 173 ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित किये हैं, जिसमें से बैंकों द्वारा 33 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये हैं। उक्त योजनान्तर्गत विभाग द्वारा बैंक शाखाओं को ऋण आवेदन पत्र नवम्बर एवं दिसम्बर माह में प्रेषित किये गये हैं, जिन्हे बैंकों द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।
- एस.एल.बी.सी. द्वारा बैंकों को लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कहा गया है तथा दिनांक 29.12.2021 को ई-मेल के माध्यम से बैंक शाखाओं को लम्बित ऋण आवेदन पत्रों को सूचि प्रेषित की गयी है।

10. वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना :

(रु. करोड़ में)

प्रगति	मद	लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	ऋण राशि	निरस्त आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र	
							< 1 M	>1 M
As on 30 .09.21	वाहन	150	125	49	4.25	14	21	41
	गैर वाहन	100	82	12	2.75	17	23	30
As on 31.12.21	वाहन	150	161	102	9.61	28	16	15
	गैर वाहन	100	124	33	8.52	24	28	39

(Source of Data – Tourism Department)

10 (a) वाहन ऋण :**जिलेवार प्रगति -**

(Progress as on 31.12.21, F.Y. 2021-22)

जिला	लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	निरस्त आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र	
					< 1 M	>1 M
अल्मोड़ा	13	12	12	0	0	0
बागेश्वर	15	18	15	1	2	0
चमोली	13	21	11	4	3	3
चम्पावत	7	7	7	0	0	0
देहरादून	11	2	0	1	0	1
पौड़ी	10	30	16	5	0	9
हरिद्वार	11	11	5	1	5	0
नैनीताल	18	16	10	4	1	1
पिथौरागढ़	12	13	12	1	0	0
रुद्रप्रयाग	10	2	1	1	0	0
टिहरी	11	9	2	6	0	1
यू.एस. नगर	7	10	7	2	1	0
उत्तरकाशी	12	10	4	2	4	0
योग	150	161	102	28	16	15

(b) गैर-वाहन ऋण :**जिलेवार प्रगति -**

(Progress as on 31.12.21, F.Y. 2021-22)

जिला	लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	निरस्त आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र	
					< 1 M	>1 M
अल्मोड़ा	9	12	4	3	0	5
बागेश्वर	12	8	5	1	2	0
चमोली	9	16	0	3	7	6
चम्पावत	5	6	6	0	0	0
देहरादून	8	10	0	0	0	10
पौड़ी	6	8	1	4	0	3
हरिद्वार	5	0	0	0	0	0
नैनीताल	13	21	5	3	2	11
पिथौरागढ़	9	15	9	1	5	0
रुद्रप्रयाग	5	0	0	0	0	0
टिहरी	6	9	2	1	4	2
यू.एस. नगर	5	7	1	4	2	0
उत्तरकाशी	8	12	0	4	6	2
योग	100	124	33	24	28	39

(Source of Data : Tourism Deptt.)

- पर्यटन विभाग से प्राप्त जिलेवार प्रगति रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 30.11.2021 तक वाहन मद में निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 150 के सापेक्ष विभाग द्वारा 161 ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित किये गये हैं, जिसमें से बैंकों द्वारा 102 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये हैं, जो कि लक्ष्य का 68 प्रतिशत है।
- गैर वाहन मद में निर्धारित लक्ष्य 100 के सापेक्ष 124 ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित किये गये हैं, जिसमें से 33 आवेदकों को ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये हैं, जो कि लक्ष्य का 33 प्रतिशत है।
- एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा समस्त बैंकों को अवगत कराया गया है कि विभाग द्वारा वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्व-रोजगार योजना को MSY पोर्टल के अंतर्गत क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त योजना हेतु पूर्व में MSY योजना के अंतर्गत user ID यथावत रहेंगे।

11. दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना :

(रु. करोड़ में)

प्रगति	वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	ऋण राशि	निरस्त आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र	
						< 1 M	>1 M
As on 30 .09.21	200	239	34	6.48	21	52	132
As on 31.12.21	200	313	92	15.27	60	40	121

(Source of Data – Tourism Department)

जिलेवार प्रगति –

(रु. करोड़ में)

(Progress as on 31.12.21)

जिला	वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	ऋण राशि	निरस्त आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र	
						< 1 M	>1 M
अल्मोड़ा	22	28	8	1.94	10	1	9
बागेश्वर	10	11	7	0.65	0	4	0
चमोली	25	47	8	1.55	8	13	18
चम्पावत	10	08	8	1.71	0	0	0
देहरादून	08	11	4	0.66	2	2	03
पौड़ी	20	27	8	1.50	2	0	17
हरिद्वार	04	04	2	0.63	0	2	0
नैनीताल	20	53	8	1.73	6	2	37
पिथौरागढ़	22	23	13	2.11	5	0	5
रुद्रप्रयाग	10	07	4	0.92	0	0	3
टिहरी	20	35	8	1.13	8	0	19
यू.एस. नगर	04	05	0	0	3	2	0
उत्तरकाशी	25	54	14	0.73	16	14	10
योग	200	313	92	15.27	60	40	121

- बैंकों द्वारा दिनांक 31.12.2021 तक योजना अंतर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 200 के सापेक्ष 92 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये हैं, जो कि लक्ष्य का 46 प्रतिशत है।
- एस.एल.बी.सी. द्वारा विभाग से प्राप्त लंबित ऋण आवेदन पत्रों की बैंक/षाखावार सूची समस्त बैंको को उनकी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी गयी है।
- एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा समस्त बैंकों को अवगत कराया गया है कि विभाग द्वारा दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना को MSY पोर्टल के अंतर्गत क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त योजना हेतु पूर्व में MSY योजना के अंतर्गत user ID यथावत रहेंगे।

12. KCC saturation scheme :

(Amt. in lacs)

		Progress As on 30 .09.2021		Progress As on 24.12.21	
Cumulative number of KCC applications Received Crop Loan		105625		150887	
		No. of A/c	Amt.	No. of A/c	Amt.
KCC (Crop Loan)		88283	1765.28	97880	1900.37
Farmers with AH or Fisheries Activities	KCC(Crop Loan) with dairy	2398	22.51	2483	22.70
	KCC(Crop Loan) with other allied activities	2335	13.00	2634	13.73
AH	Dairy	14385	94.20	14643	95.69
	Poultry	20	0.68	20	0.68
	Others	2154	65.22	2311	69.22
Fisheries	Fisheries	228	2.89	228	2.89
Grand Total		109803	1963.71	120199	2105.28
Application not found to be eligible	Applicant already having a KCC either in same bank or others	11361		11753	
	Non-availability of land records, No clear title/ disputed land records, etc.	17216		18516	
	Total	28577		30269	
No of Pending Applications Total		301		357	

(Source : FI- Plan Portal)

- किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तता योजना अंतर्गत दिनांक 24.12.2021 तक कृषि एवं कृषि अनुषंगी गतिविधियों (Agriculture and Agriculture allied activities) हेतु बैंकों द्वारा 120199 कृषकों को रु. 2105.28 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है।

13. बैंक शाखायें एवं ए.टी.एम. :

राज्य में कार्यरत बैंक शाखाओं एवं ए.टी.एम. की संख्या निम्नवत है :

बैंक	शाखाओं की संख्या			ए.टी.एम. की संख्या		
	As on 30.09.2020	As on 30.09.2021	Increase / Decrease	As on 30.09.2020	As on 30.09.2021	Increase / Decrease
सरकारी बैंक	1456	1427	-29	1820	1938	+118
ग्रामीण बैंक	287	287	-	02	07	+05
सहकारी बैंक	289	289	-	101	82	-19
निजी बैंक	317	363	+46	512	527	+15
स्माल फाईनेन्स बैंक	21	25	+04	10	12	+02
पेमेंट बैंक	15	15	-	-	-	-
योग	2385	2406	+21	2445	2566	+121

- सरकारी बैंकों की शाखाओं की संख्या कम होने का कारण कुछ बैंकों का आपस में बिलय होना है।
- पेमेंट बैंक में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 12 तथा फिनो पेमेंट बैंक की 03 शाखायें शामिल हैं।
- उत्कर्ष स्माल फाईनेन्स बैंक की 22 तथा उज्जीवन स्माल फाईनेन्स की 04 शाखायें उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत हैं।

14. Business Correspondents (BCs) / CSPs – IIBF Certification विषयक दिनांक 30.09.2021 तक की प्रगति निम्नवत है :

Total No. of B.C.	No. of B.C. completed B.C. Certification Course	No. of remaining B.C. for completion of B.C. Certification Course
2900	1681	1219

As per the IBA (Indian Banks Association) Letter No. SB/CIR./FI-BC/2019-20/7482 (enclosed) dated July 05, 2019, on the subject BC Certification – Graded Certification process, all banks including RRBs were advised to complete the BC certification process within the stipulated timelines.

In our State, as per the latest status report as on 31.12.2021, out of the total 2,900 BCs of banks present in the State, 1681 BCs have completed the BC certification exam conducted by IIBF. Banks have been advised to ensure that remaining 1219 BCs complete BC Certification at the earliest. In our State, the banks which have maximum number of remaining BCs to complete aforementioned certification are UGB, IDFC, SBI, HDFC and Bank of Baroda.

15. Provision of Banking Services in every village within a radius of 5 Kms / Hamlets of 500 Households :

Presently, under the aforementioned milestone/objective (Universal Access to Financial Services) of NSFI to provide banking facilities to the last mile, all villages in the State are covered through a network of bank branches, Business Correspondents (BCs), and banking network of Indian Post Payment Bank.

All banks present in the State need to continuously monitor the functioning of BCs present in the State in order to provide safe and affordable financial services to the last mile in true sense.

As per Jan Dhan Darshak of DFS App all villages in Uttarakhand has been saturated with Banking outlet.

In last SLBC Meeting held on dated 23.11.2021 it was decided to form Sub-Committee for Physical access to Banking, in Sub Committee for Financial Inclusion and Digitization the issue of physical access to banking to be discussed.

16. FINANCIAL INCLUSION :

Growth: March, 2021 to November, 2021:

	March, 2021	November, 2021	Increase March 2021 to Nov, 2021
PMJDY A/Cs	2859104	2959839	+100735
PMSBY A/Cs	2043505	2130899	+87384
PMJJBY A/Cs	459346	493775	+34429
APY A/Cs	281786	339111	+57325

There is overall growth in number of accounts in PMJDY, PMJJBY and APY during the period March, 2021 to November, 2021

Department of Financial Services has advised vide their Letter No. F.no.21(23)/2014-FI(Mission) dated 27.09.2021 that saturation drive for Jan Suraksha Scheme will be implemented from 2nd October, 2021 to 30th September, 2022 as under :

The Corporate Office of the Banks shall arrange to download the electoral rolls for the respective State for which it is the SLBC Convenor and arrange to prepare list in excel format of all such adult who have attained maturity in the last three years i.e. 2019, 2020 & 2021. This should be arranged by District, Assembly, Constituency and polling station as specified in the electoral rolls.

Corporate Center of Banks have circulated list of PMJDY accounts not saturated with either PMSBY, PMJJBY and APY. Banks are contacting customers for saturation of Social Security Schemes in PMJDY accounts.

17 Financial Literacy Centers (FLC) :

Presently there are 16 Financial Literacy Centre (FLCs) operating in all 13 districts of the State.

The banks which are operating these FLCs in the state are three Lead Banks namely SBI, PNB, Bank of Baroda and one RRB namely Uttarakhand Gramin Bank (UGB).

The progress in number of Financial Literacy Camps organized by these FLCs for the June 2021 Quarter is 31 and beneficiaries is 765, whereas in Sept 2021 quarter 194 FLCs Camps were organized and 5713 beneficiaries were benefitted.

Specific target group for FLC are :

- Students,
- Senior Citizens
- SHGs
- Farmers
- Small Entrepreneur

18. Scaling up of Centre for Financial Literacy (CFL) Project in the State of Uttarakhand :

- One of the milestones of the National Strategy for Financial Inclusion (NSFI : 2019-2024) is to be expand the reach of CFLs to every block in the country. Accordingly, it has been decided to scale up the outreach of CFLs to every block in the country, in a phased manner with one CFL serving three blocks.
- In the first phase total of 16 blocks have been identified to set up the CFLs,.
- Three sponsor Banks namely SBI, PNB and BOB have been given responsibility to set up the CFLs in coordination with CRISIL Foundation (implementing NGO) which have been identified for setting up these CFLs across the State. In this regard, the implementing NGO, CRISIL Foundation have completed the process of signing of MoUs with all three sponsor banks namely Punjab National Bank on 30th June, 2021, Bank of Baroda on 15th July, 2021 and State Bank of India on 24th August, 2021 respectively for the State of Uttarakhand.
- On 11.12.2021, CGM FIDD RBI, Corporate Centre virtually inaugurated 16 CFLs from Khanpur (Dist- Haridwar). Thus all the 16 CFLs to be opened in first phase in Uttarakhand State are operational.

19. Performance of Aspirational Districts in four KPIs under Targeted Financial Inclusion Intervention Programme(TFIIP) :

नीति आयोग द्वारा राज्य में हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर जिले को F.I. हेतु Aspirational District के तौर पर चिन्हित किया गया है। Targetted Financial Inclusion Intervention Programme (TFIIP) के अन्तर्गत हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर जिले द्वारा KPI (Key Performance Indicator)में निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है :

जिला हरिद्वार की प्रगति 30.11.2021 तक निम्नवत है :

Benchmark for Aspirational Districts	Operative Bank accounts (CASA)	PMJJBY enrollments	PMSBY enrollments	APY beneficiaries
Total No. of Accounts to be opened for achieving benchmark	24,52,917	1,84,732	5,72,855	54,558
Actual No. of Accounts as on 30.11.2021	24,55,961	91,836	4,25,571	66,505
Remaining No. of Accounts to be opened by 31/12/2021	----	92,896	1,47,284	-----

जिला उधम सिंह नगर की प्रगति 30.11.2021 तक निम्नवत है :

Benchmark for Aspirational Districts	Operative Bank accounts (CASA)	PMJJBY enrollments	PMSBY enrollments	APY beneficiaries
Total No. of Accounts to be opened for achieving benchmark	21,39,533	1,61,131	4,99,667	47,587
Actual No. of Accounts as on 30.11.2021	22,11,917	1,21,524	5,40,642	65,543
Remaining No. of Accounts to be opened by 31/12/21	----	39,607	-----	----

Data Source : **Champions of Change Portal**

उधम सिंह नगर जिले में केवल पी.एम.जे.जे.वाई. लक्ष्य की प्राप्ति होनी बाकी है।

हरिद्वार जिले में पी.एम.एस.बी.वाई. एवं पी.एम.जे.जे.वाई. में लक्ष्य की प्राप्ति होनी बाकी है।

उधम सिंह नगर एवं हरिद्वार जिले के अग्रणी जिला प्रबन्धक को कहा गया है कि वे अपने अपने जिले में पी.एम.जे.जे.वाई. में पी.एम.एस.बी.वाई. अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति करें।

20. Progress in Pilot Project on Expanding and Deepening of Digital Payments undertaking the identified District (Distt. Almora) & Second identified Distt. Chamoli :

In the State of Uttarakhand, District Almora was chosen on the pilot basis by SLBC, Uttarakhand for 100% digitization.

District Chamoli has been identified as second District for implementing 100% digitization.

A brief summary of the progress made on achievement of digitalisation in the district Almora as on 30.11.2021 is provided below:

- Digital Coverage for Individuals (Savings Accounts):

% of Eligible Operative Saving accounts in the district covered with at least one of the facilities - Debit/RuPay cards, net banking, mobile banking, UPI, USSD, and AEPS - 98% .

- Digital Coverage for Business (Current Accounts):

% of Eligible Operative Current/ Business Accounts covered with at least one of facilities – Net Banking/ POS/ QR/ Mobile Banking – 98%

21. SHG & JLG :

- There are about 42,867 Self Help Groups (SHGs) are present in the State of Uttarakhand.
- In the State, the percentage of SHGs which are linked to bank credit is about 62.08%. There is a need to ensure credit requirements of the SHGs are actively met and financing of SHGs is hassle free.
- The average Ticket Size of SHGs loan in the State of Uttarakhand is Rs. 1.05 lakh which needs to be increased. RBI has issued circular instructions that loans upto 20 lacs of SHGs has to be done without taking any collateral security.
- The Average Loan Ticket Size to JLGs is around Rs. 50 thousand in the State. Banks to focus on creating SHGs of JLG beneficiaries to increase credit flow to this weaker section.

22. MSME :

30.09.2021 तक योजनांतर्गत इकाईयों को वितरित ऋणों की सेक्टरवार अदत्त राशि (outstanding) निम्नवत है :
(कुल प्रदत्त राशि करोड़ में)

प्रगति	सूक्ष्म इकाई		लघु इकाई		मध्यम इकाई		कुल ऋण राशि		योग
	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	एम.एस.एम.ई.
31.03.21	1626.31	4295.49	2439.46	6443.24	900.10	1002.29	4965.87	11741.02	16706.89
30.09.21	2141.35	3855.53	3212.02	5783.31	1131.73	717.24	6485.10	10356.08	16841.18

- सूक्ष्म इकाई / कुल एम.एस.एम.ई. 35.44% (Investment < 1 Cr. & Turnover < 5 Cr.)
- लघु इकाई / कुल एम.एस.एम.ई. 53.16% (Investment < 10 Cr. & Turnover < 50 Cr.)
- मध्यम इकाई / कुल एम.एस.एम.ई. 11.38% (Investment <50 Cr. & Turnover <250 Cr.)

23. Emergency Credit Line Guarantee Scheme (GECL) for MSME :

उक्त योजना रु. 4.5 लाख करोड़ (वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त योजना में रु. 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त आवंटन किया गया है) ऋण स्वीकृत होने तक जारी रहेगी अथवा 31 मार्च, 2022 तक, दोनो में से जो भी पूर्व में हो। अभी तक देश में उक्त योजना अंतर्गत रु. 3.08 लाख करोड़ स्वीकृत किये जा चुके हैं। ऋण वितरण की तिथि बढ़ाकर 30.06.2022 कर दी गयी है।

(a) GECL - 1.0:

योजना में निम्नवत बदलाव किया गया है :-

	Earlier	Now
Scheme Validity	June 30 th 2021	March 31st, 2022
Additional Credit	Additional credit up to 20% of outstanding as on Feb 29 th , 2020	Additional credit assistance of up to 10% of outstanding as on Feb 29 th , 2020. (with respect to restructuring as per RBI guidelines)
Repayment	<u>For all borrowers</u>	<u>For borrowers who are eligible for restructuring as per RBI guidelines – May 05, 2021</u>
	Overall tenure of 4 years (comprising repayment of interest only during first year and interest and principal in 3 years thereafter)	Overall tenure of 5 years (comprising repayment of interest only during first 2 year and interest and principal in 3 years thereafter)

Guaranteed Emergency Credit Line (GECL) के अंतर्गत राज्य की योग्य इकाईयों से संबंधित प्रगति :

Progress as on 30/09/2021, O/S (FB+NFB) upto Rs. 50 Crores:

(Rs. In Crores)

	Eligible loan A/Cs		No. of A/Cs whom information sent	No. of Accounts		Amount		Coverage %
	No. of A/Cs	Amt.		Cum. Sanctioned	Cum. Disbursement	Cum. Sanctioned	Cum. Disbursement	
Upto Rs. 25 Crores	99140	2479.60	99140	67473	41625	1865.79	1642.47	68.06
Above Rs. 25 to 50 Crores	1071	205.29	1071	85	81	145.71	108.37	7.94
Total	100211	2684.89	100211	67558	41706	2011.50	1750.84	67.41

एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा समस्त बैंकों को निर्देशित किया गया है कि पात्र ऋणियों से सम्पर्क करें तथा योजना के अंतर्गत सुविधा का लाभ प्राप्त करें।

(b) GECL – 2.0 :

वर्तमान में ईमरजेन्सी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना में रु. 50 करोड़ से रु. 500 करोड़ तक की outstanding (As on 29/02/2020 or 31/03/2021, whichever is higher) वाली इकाइयां भी इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगी। Annual Turnover की सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। उक्त विषय में बैंकों द्वारा योग्य खाताधारकों से वार्तालाप करने पर उद्यमियों द्वारा अवगत कराया गया है कि ऋण की आवश्यकता पड़ने पर ही, उनके द्वारा योजना का लाभ प्राप्त किया जायेगा।

Existing borrowers under ECLGS 1.0 & 2.0 would be eligible for additional credit support of upto 10% of total credit outstanding as on 29.02.2020 or 31.03.2021, whichever is higher.

Businesses in sectors specified under ECLGS 3.0, who have previously not availed ECLGS, can avail credit support up to 40% of their credit outstanding as on 31.03.2021, to the maximum of Rs. 200 crore per borrower.

Incremental credit can be availed within these limits by existing ECLGS borrowers whose eligibility increased because of change in cut off date to 31.03.2021 from 29.02.2020.

(c) GECL – 3.0:

	Earlier	Now
Entities / Sector eligible	Hospitality, Travel & Tourism, Leisure & Sporting sectors	Civil aviation sector also made eligible
Scheme validity	June 30 th , 2021	March 31st, 2022
Ceiling	Rs. 500 crore of loan outstanding	No limit (assistance to each borrower limited to 40% of total credit outstanding or Rs. 200 crore whichever is lower)

Total number of accounts under GECL-3.0 Scheme, number of accounts sanctioned is 113 & the Amt is Rs. 33.88 cr.

(d) GECL – 4.0:

- 100% guarantee cover to loans up to Rs. 2 crore to Hospitals / Nursing Homes/ Clinics/ Medical Colleges having credit facility with banks for setting up low cost technologies like pressure swing absorption etc. for on side oxygen generation.
- The current ceiling of Rs. 500 Cr. of loan outstanding for eligibility under ECLGS 3.0 to be removed, subject to maximum additional ECLGS assistance to each borrower has limited to 40% or Rs. 200 crore, whichever is lower.
- Total number of accounts sanctioned under GECL-4.0 Scheme is 02 & Amount Rs. 1.79 cr.

24. Distressed Assets Fund – Subordinate Debt for Stressed MSMEs

Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt (CGSSD):

वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत कैम्पेन के तहत रु. 20,000 करोड़ का पैकेज उन खातों के लिए घोषित किया गया है, जो खाते दिनांक 30.04.2020 को SMA-2 अथवा एन.पी.ए. थे एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिषानिर्देशानुसार Restructuring के लिए योग्य हैं।

योजना अंतर्गत राज्य की योग्य इकाईयों से संबंधित प्रगति निम्नवत है :

Progress upto 30/09/2021

(Amt. In lacs)

No. of MSME Borrowers which are Stressed (i.e. SMA-2 and NPA) as on 30.04.2020	No. of Eligible Borrowers under CGSSD	Sanctioned under CGSSD	
		No.	Amt.
5509	321	20	65.73

उक्त योजना निम्न कारणों से सफल नहीं हो पायी है, बैंक तथा उद्यमी इस प्रक्रिया को काफी जटिल पा रहे हैं।

- योजना अनुसार दिनांक 31.03.2018 को स्टैन्डर्ड खाता होना चाहिए तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में खाते में नियमित संचालन होना चाहिए (चाहे स्टैन्डर्ड खाते अथवा एन.पी.ए. खाते के रूप में)।
- खाताधारक को subordinate debt का 10 प्रतिशत collateral के रूप में लाना है।
- बैंकों द्वारा सुनिश्चित किया जाय कि उक्त योजना अंतर्गत स्वीकृत ऋण सुविधा का पूर्णतः अथवा अंशतः उपयोग पूर्व में लिये गये ऋण, वित्तीय संस्थाओं की अतिदेय राशि के भुगतान, deemed bad debts अथवा doubtful ऋण खातों की वसूली के समायोजन में न किया जाय।
- उद्यमी से फण्ड के उपयोग का प्रमाण पत्र बैंक को उपलब्ध कराना।
- चार्टर्ड एकाउन्टेंट से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरांत ऋण राशि को अंश पूंजी में शामिल किया गया है।
- निजी/सार्वजनिक कम्पनी के केस में ROC/MCA site से यह प्रमाणित किया जाय कि स्वीकृत सावधि ऋण को व्यवसाय की अंश पूंजी में लगा दी गयी है।
- जहां पर audited financials उपलब्ध न हो, वहां पर ऋणी से undertaking ली जाय कि सावधि ऋण का उपयोग व्यवसाय की अंश पूंजी के रूप में किया जायेगा।
- ऋणी की आयकर विवरणी, बचत एवं चालू खाते से फण्ड के स्रोत का सत्यापन किया जाय।

आगामी वित्तीय वर्ष की बैलेन्स शीट प्राप्त की जाय तथा स्वीकृत सावधि ऋण का अंश पूंजी में उपयोग को सत्यापित किया जाय।
